

ग्रामीण सेवा शिविर-2025  
दिनांक 06.11.2025

**न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर, बालोतरा**

राजस्व आवेदन संख्या 425/2025

किशोरसिंह बनाम सरकार

**आदेश**

प्रार्थी के खाता दुरुस्ती प्रार्थना पत्र एव हल्का पटवारी असाड़ा व भू.अ.नि. जसोल मय तहसीलदार पचपदरा की रिपोर्ट के अनुसार ग्राम असाड़ा तहसील पचपदरा की खाता संख्या 149 मे प्रार्थी का नाम केवलसिंह पुत्र कसीया सहखातेदारी में दर्ज है, जो कि रेकर्ड मे अशुद्ध नाम दर्ज हो रखा है, जबकि प्रार्थी का वास्तविक नाम किशोरसिंह पुत्र कालूसिंह है, जो शुद्ध करवाने का निवेदन किया गया है।

प्रार्थी का आवेदन दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रार्थी का आवेदन व पत्रावली के संलग्न दस्तावेजात का गम्भीरतापूर्वक अवलोकन किया गया। जिसमे पाया कि प्रार्थी का वर्तमान रेकर्ड मे केवलसिंह पुत्र कसीया सहखातेदारी मे दर्ज है, इसके स्थान पर प्रार्थी किशोरसिंह पुत्र कालूसिंह दर्ज करवाने का अनुतोष चाहा है, जो कि स्वीकार योग्य नहीं है, क्योंकि प्रार्थी द्वारा ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य सबूत पेश नहीं किया, जिससे साबित होता कि प्रार्थी नाम दुरुस्ती करवाने का हकदार हो। प्रार्थी के नाम दुरुस्ती करवाने के समर्थन मे विवादित भूमि के सहखातेदारान द्वारा कोई समर्थन अर्थात इकबाली जवाब पेश नहीं किया गया है, जिसके अभाव के कारण प्रार्थी का आवेदन को स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है, इसके अलावा पूर्व रेकर्ड मे प्रार्थी का नाम अशुद्ध दर्ज होने का क्या आधार रहा, इसका भी कोई स्पष्टीकरण नहीं है। उपरोक्त विवेचन के उपरांत प्रार्थी का आवेदन अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत पोषणीय नहीं होने के कारण प्रार्थी का आवेदन खारिज किया जाता है। प्रार्थी पृथक से वाद पेश करने के लिए स्वतंत्र रहेगा।

पत्रावली फैसल सुमार होकर दाखिल दफतर हो।

(अशोक कुमार)  
उपखण्ड अधिकारी एवं  
सहायक कलक्टर बालोतरा